

आदेश

हल्का पटवारी आई.एल.आर. की रिपोर्ट पर की जांच पश्चात तहसीलदार फागी की जांच व अनुशंसा के पश्चात ग्राम शोणपुरा के खाता सं. ५८८ खसरा नं. ५८/२ में आवेदन पत्र ~~लेखक श्री श्रीराम पांडे पाट सा. श्रीपालकाट के खेत पर~~ अनुसार लेखक श्री श्रीराम पांडे पाट सा. ५८ शुद्धि किये जाने के आदेश दिये जाते हैं। तहसीलदार फागी को प्रति भिजवाकर लेख है कि यदि किसी अन्यत्र न्यायालय का स्थगन अथवा वाद विचाराधीन नहीं होने की जांच कर आदेश की पालना सुनिश्चित करें। आदेश केम्प FRC ग्राम पंचायत शोणपुरा में दिनांक ३०-५-२५ को मजमेआम में सुनाया गया।

३०/५/२६
उपस्थंड अधिकारी
फागी, जयपुर